

2019 का विधेयक संख्यांक 110

(दि इंडियन मेडिकल काउंसिल (अमेंडमेंट) बिल, 2019 का हिन्दी अनुवाद)

**भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन)
विधेयक, 2019**

**भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक**

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2019 है ।

संक्षिप्त नाम
और प्रारम्भ ।

5 (2)(क) इस अधिनियम के उपबंध धारा 2 के खंड (ग) के उपखंड (i) के सिवाय, 26 सितम्बर, 2018 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ; और

(ख) धारा 2 के खंड (ग) का उपखंड (i) 12 जनवरी, 2019 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

1956 का 102

2. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा 3क में,--

धारा 3क का
संशोधन ।

10 (क) उपधारा (1) में, "भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2010" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2019" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

2010 का 32

(ख) उपधारा (2) में, "तीन वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "दो वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ;

15 (ग) उपधारा (4) में,--

(i) "सात से अनधिक ऐसे व्यक्तियों" शब्दों के स्थान पर, "बारह से

अनधिक ऐसे व्यक्तियों" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) "और आयुर्विज्ञान शिक्षा" के स्थान पर, "और आयुर्विज्ञान शिक्षा या साबित प्रशासनिक सामर्थ्य और अनुभव" शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) उपधारा (7) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

5

"(7क) शासी बोर्ड की ऐसे महासचिव द्वारा सहायता की जाएगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति पर या संविदा आधार पर नियुक्त किया जाएगा और वह परिषद् में सचिवालय का प्रधान होगा ।"

निरसन
व्यावृत्ति । और

3. (1) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2019 को निरसित किया जाता है ।

2019 का
10 अध्यादेश सं. 5

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उक्त अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

1956 का 102

उद्देश्यों और कारणों का कथन

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के पुनर्गठन का और भारत के लिए एक चिकित्सक रजिस्टर रखे जाने का तथा तत्संबद्ध विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया था। भारतीय चिकित्सा परिषद् (उक्त परिषद्) के मुख्य कृत्य केन्द्रीय सरकार को चिकित्सीय अर्हताओं की मान्यता, अध्ययन पाठ्यक्रमों का अवधारण करने और ऐसी अर्हताओं को अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित परीक्षाओं, परीक्षाओं के निरीक्षण और चिकित्सीय व्यवसायियों के रजिस्टर को बनाए रखने आदि मामलों के संबंध में सिफारिश करना है।

2. उक्त परिषद् का कार्यकरण काफी लंबे समय से संवीक्षाधीन रहा है और उसकी अनेक विशेषज्ञ निकायों द्वारा समीक्षा की गई थी, जिनमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की विभाग संबंधी संसदीय समिति भी सम्मिलित थी, जिसने मार्च, 2016 में अपनी बानवेवीं रिपोर्ट में उक्त परिषद् पर गंभीर अभ्यारोपण किए थे। समिति ने यह सिफारिश की थी कि सरकार को यथाशीघ्र संसद् में एक नया व्यापक विधेयक लाना चाहिए जिससे आयुर्विज्ञान शिक्षा और आयुर्विज्ञान व्यवसाय की विनियामक प्रणाली की पुनः संरचना और पुनरुद्धार किया जा सके तथा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् में सुधार लाया जा सके। तदनुसार, दिसंबर, 2017 में लोक सभा में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक, 2017 पुरःस्थापित किया गया था जो सोलहवीं लोक सभा के विघटन पर व्यपगत हो गया था।

3. तथापि, उक्त अधिनियम और तदधीन बनाए गए विनियमों के उपबंधों की अवहेलना करते हुए उक्त परिषद् द्वारा की गई मनमानी कार्रवाई को ध्यान में रखते हुए, सरकार द्वारा उक्त परिषद् के स्थान पर एक वैकल्पिक तंत्र स्थापित करने के लिए तुरंत उपाय किए जाने अपेक्षित थे जिससे कि देश में आयुर्विज्ञान शिक्षा के शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्ता को लाया जा सके। इसलिए यह विनिश्चय किया गया है कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् को अधिक्रान्त किया जाए और उसके कार्यों को एक शासी बोर्ड को जिसमें विख्यात डाक्टर सम्मिलित होंगे, दो वर्ष की अवधि के लिए या उस समय तक जब तक कि उक्त परिषद् का पुनर्गठन नहीं कर दिया जाता, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, सौंप दिया जाए।

4. चूंकि संसद् सत्र में नहीं थी और अत्यावश्यक विधान बनाया जाना अपेक्षित था, इसलिए, राष्ट्रपति ने 26 सितंबर, 2018 को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2018 प्रख्यापित किया था। तत्पश्चात्, उक्त अध्यादेश के प्रतिस्थापित करने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2018 लोक सभा में 14 दिसम्बर, 2018 को पुरःस्थापित किया गया था तथा 31 दिसम्बर, 2018 को उक्त सदन में उस पर विचार किया गया था और उसे पारित किया गया था। तथापि, राज्य सभा में उक्त विधेयक को विचार किए जाने और पारित किए जाने हेतु लिए जाने से पूर्व, संसद् का शीतकालीन सत्र 2018 अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया था।

5. चूंकि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2018 संविधान के

अनुच्छेद 123 के खंड 2 के उपखंड (क) के उपबंधों को अनुसार प्रवर्तन में नहीं रह जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा 12 जनवरी, 2019 को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2019 प्रख्यापित किया गया था ।

6. तत्पश्चात्, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2018 शासकीय संशोधनों के साथ संसद् में विचार किए जाने और पारित किए जाने के लिए नहीं लिया जा सका, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2019 राष्ट्रपति द्वारा 21 फरवरी, 2019 को प्रख्यापित किया गया था ।

7. तथापि, सोलहवीं लोकसभा के विघटन के अनुसरण में, ऊपर उल्लिखित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2018, जो संसद् में विचार किए जाने और पारित किए जाने के लिए लंबित था, व्यपगत हो गया था । इसलिए, वर्तमान विधेयक भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2019 को प्रतिस्थापित करने के लिए है ।

8. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2019, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित का उपबंध करता है, अर्थात् :-

(क) विद्यमान भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् को अधिकांत करने के लिए और जब तक उक्त परिषद् का पुनर्गठन नहीं कर दिया जाता है, तब तक शासी बोर्ड में उसकी शक्तियां निहित करने ;

(ख) दो वर्ष की अवधि के भीतर परिषद् के पुनर्गठन के लिए उपबंध करने हेतु धारा 3क की उपधारा (2) और उपधारा (4) का संशोधन करने ;

(ग) धारा 3क की उपधारा (4) के संशोधन करने, जिससे कि शासी बोर्ड के लिए सदस्यों के नामनिर्देशन के लिए अर्हता के रूप में भी साबित प्रशासनिक सामर्थ्य और अनुभव को जोड़ा जा सके और शासी बोर्ड की संख्या को बढ़ाकर बारह किया जा सके ; और

(घ) उक्त धारा में एक नई उपधारा (7क) के अंतःस्थापन का उपबंध करने, जिससे शासी बोर्ड की ऐसे महासचिव द्वारा सहायता की जा सके, जो केंद्रीय सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति पर या संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाएगा और वह परिषद् में सचिवालय का प्रधान होगा ।

9. विधेयक भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2019 को प्रतिस्थापित करने के लिए है ।

नई दिल्ली ;
20 जून, 2019

डॉ. हर्ष वर्धन

वित्तीय जापन

विधेयक के खंड 2 का उपखंड (घ) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा 3क का संशोधन करने के लिए है, जो अन्य बातों के साथ, विद्यमान भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के स्थान पर दो वर्ष की अवधि के लिए या उस समय तक, जब तक कि उक्त परिषद् का पुनर्गठन नहीं कर दिया जाता या कोई अन्य व्यवस्था, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, नहीं कर दी जाती, बारह से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनने वाले एक शासी बोर्ड के गठन के लिए उपबंध करती है। धारा 3क की नई प्रस्तावित उपधारा (7क), प्रतिनियुक्ति या संविदा के आधार पर एक महासचिव की नियुक्ति के लिए उपबंध करती है, जो उक्त परिषद् के सचिवालय का प्रधान होगा। शासी बोर्ड का अध्यक्ष और उसके पदेन सदस्यों से भिन्न अन्य सदस्य ऐसी आसीन होने संबंधी फीस और अन्य भत्तों के लिए हकदार होंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित किए जाएं। इसके अतिरिक्त, महासचिव अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए वेतन और भत्तों के लिए हकदार होगा। यह आशा की जाती है कि आसीन होने संबंधी फीस और यात्रा तथा अन्य भत्तों से संबंधित ऐसा व्यय अल्पतम होगा और उसकी पूर्ति भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की निधियों से की जाएगी।

2. विधेयक में चालू वित्तीय वर्ष, अर्थात् 2019-20 के दौरान किसी आवर्ती या अनावर्ती व्यय की परिकल्पना नहीं है।

उपाबंध

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956(1956 का अधिनियम संख्यांक 102) से उद्धरण

* * * * *

केंद्रीय सरकार की परिषद् को अतिष्ठित करने और शासी बोर्ड का गठन करने की शक्ति।

3क. (1) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2010 के प्रारंभ की तारीख से ही परिषद् अतिष्ठित हो जाएगी और परिषद् का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य अपने पद रिक्त कर देंगे तथा उनका किसी भी प्रकार के किसी प्रतिकर के लिए कोई दावा नहीं होगा।

2010 का 32

(2) परिषद् का पुनर्गठन, उपधारा (1) के अधीन परिषद् के अतिष्ठित किए जाने की तारीख से तीन वर्षकी अवधि के भीतर, धारा 3 के उपबंधों के अनुसार, किया जाएगा।

* * * * *

(4) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, शासी बोर्ड का गठन करेगी, जो उसके सदस्यों के रूप में सात से अनधिक ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगा, जो औषध और आयुर्विज्ञान शिक्षा के क्षेत्रों में विख्यात और अनाधिकक्षणीय सत्यनिष्ठा वाले व्यक्ति होंगे और जो या तो नामनिर्दिष्ट सदस्य या पदेन सदस्य हो सकेंगे, जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा, जिनमें से एक सदस्य को केंद्रीय सरकार द्वारा शासी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाएगा।

* * * * *

(7) शासी बोर्ड की बैठकों के लिए गणपूर्ति उसके दो-तिहाई सदस्यों से मिलकर होगी।

* * * * *

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2019 का शुद्ध पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़ें
2	2	"शिक्षा" के स्थान पर	"शिक्षा" शब्दों
3	3	"चिकित्सक" के स्थान पर	"चिकित्सा"
4	21	शासी बोर्ड का	शासी बोर्ड के सदस्यों का
4	मंत्री महोदय के नाम	डॉ हर्ष वर्धन	हर्ष वर्धन